

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या-2043/9-1-2022-29टी.ए./16

लखनऊ ; दिनांक- 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत कुरारा, जिला हमीरपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-2305/09-1-2019-29टी.ए./16 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1962टी/9-1-78-22टी-77 दिनांक 06 अप्रैल, 1978 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग-नौ-'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत-कुरारा, जिला हमीरपुर के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं-

अनुसूची

नगर पंचायत-कुरारा, जिला हमीरपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :-

क्र० सं०	ग्रामों का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	2	3	4
1	मौजा कुरारा	उत्तर	1460 से 1516 तक, 1525 से 1529 तक, 1568, 1569, 1570, 1684 से 1694 तक, 1701, 1705 से 1755 तक, 1784, 1786 से 1798 तक, 1845 से 1883 तक, 1930, 1935 से 1949 तक।
		दक्षिण	2021, 2072 से 2081 तक, 2090 से 2136 तक, 2153, 2160, 2162 से 2206 तक, 2209 से 2212 तक, 2220 से 2234 तक, 2247 से 2250 तक, 2265 से 2290 तक, 2296 से 2302 तक।
		पूर्व	1829 से 1844 तक, 1847, 1882 से 1922 तक, 1939, 2327 से 2332 तक, 2338 से 2495 तक, 2500 से 2580 तक, 2600 से 2608 तक।
		पश्चिम	1424 से 1429 तक, 1538 से 1563 तक, 1569 से 1633 तक, 1649 से 1659 तक।


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2043(1)/9-1-2022; तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 21 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

संख्या- (2)/9-1-2022; तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
- (2) जिलाधिकारी हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no- 2043/9-1-2022-29T.A. /16, dated July 22, 2022.

NOTIFICATION

**No. 2043/9-1-2022-29T.A. /16
Lucknow, Dated: July 22, 2022**

WHEREAS Notification no-2305/IX-1-2019-29TA-16 dated November 28, 2019 was issued and published in the Gazette on the same date with a view to invite objections and suggestions from general public with respect to the inclusion of the areas specified in the schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Kurara in District Hamirpur as required by section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-2 of 1916), (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), and in partial modification of Notification no. 1962T/9-1-78-22T-77, dated 06 April, 1978 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non- agricultural activities and the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Kurara in District Hamirpur for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Kurara in District Hamirpur :-

Sr. No.	Name of Village	Direction	Detail of Gatas
1	2	3	4
1	Mauja Kurara	North	1460 to 1516, 1525 to 1529, 1568, 1569, 1570, 1684 to 1694, 1701, 1705 to 1755, 1784, 1786 to 1798, 1845 to 1883, 1930, 1935 to 1949
		South	2021, 2072 to 2081, 2090 to 2136, 2153, 2160, 2162 to 2206, 2209 to 2212, 2220 to 2234, 2247 to 2250, 2265 to 2290, 2296 to 2302
		East	1829 to 1844, 1847, 1882 to 1922, 1939, 2327 to 2332, 2338 to 2495, 2500 to 2580, 2600 to 2608
		West	1424 to 1429, 1538 to 1563, 1569 to 1633, 1649 to 1659


(Amrit Abhijat)
Principal Secretary